जनपद-संतकबीरनगर** **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनाँक 11.10.2024

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता रामसुरेश पुत्र कुंजी निवासी कटया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री सतीश कुमार मिश्र, हो0गा0 एसीसी जामवन्त चौधरी

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 09 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6006 द्वारा दो पक्षो में मार पीट में घायल 02 बच्चियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6006 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत मरवटिया से इवेन्ट संख्या 46998 से कालर द्वारा दो पक्षो में मार पीट में घायल 02 बच्चियों (01- विजय लक्ष्मी पुत्री छोटू 02- खुशबू पुत्री छोटू ग्राम मरवटिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के संबंध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर विवाद को शांत कराकर मारपीट में घायल हुई बच्चियों को इलाज हेतु एम्बुलेंस 108 की सहायता से सीएचसी खलीलाबाद भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल हुए बच्चियों को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।
पीआरवी स्टाफ- हे0का0 कुंज विहारी यादव , म0का0 सुनौना तिवारी, म0का0 किरन यादव, हो0चा0 पवन पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 247 वाहनों से 2,75,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 11.10.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 247 वाहनों से 2,75,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित बाल अपचारी गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली ***श्री हरेश तिवारी*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 366/2024 धारा 363/366 भा0द0वि0 के मामले में वांछित बाल अपचारी को गुरहवा तरयापार उसके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा थाना महुली पर दिनांक 08.10.2024 को उक्त बाल अपचारी के विरुद्ध वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना महुली पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 11.10.2024 को उक्त बाल अपचारी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री देवेन्द्र तिवारी, हे0का0 अजीत सिंह, हो0गा0 सुरेन्द्र कुमार।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मामले में वांछित अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण मे अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा ***श्री अनिल कुमार*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0स0 475/2024 धारा 108 बीएनएस में वांछित अभियुक्त नाम पता अभिषेक पुत्र जुगानी उर्फ धर्मेन्द्र निषाद उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम जिगिना थाना धनघटा जनपद सन्तकबीर नगर को प्रसादपुर मोड़ रामजानकी मार्ग से गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि वादिनी की पुत्री को उक्त अभियुक्त द्वारा आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेषित किया गया जिससे वादिनी की पुत्री दिनांक 05.08.2024 को छत के कुंडी में फासी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया गया था। उक्त घटना के सम्बन्ध में वादिनी (मृतक की माता) द्वारा दिनांक 07.08.2024 को थाना धनघटा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त घटना में वांछित अभियुक्त को आज दिनांक 11.10.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार नायक, का0 संतोष यादव।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त व अभियुक्ता को पाँच-पाँच वर्ष के करावास व 21000 हजार रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास से फलस्वरुप आज दिनांक 11.10.2024 को ***श्रीमान ए0एस0जे0 प्रथम जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा *थाना कोतवाली खलीलाबाद* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1006/2011 धारा 336/504 भादवि के अपराध में अभियुक्त व अभियुक्ता को दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 304(2) भा0द0वि0 के मामले में दोषसिद्व अभियुक्त मंहगू पुत्र हरिवंश यादव निवासी झिनखाल थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को 05 वर्ष करावास तथा 10,000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 323 भा0द0वि0 के अन्तर्गत छ: माह का कारावास व 500रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोससिद्ध अभियुक्त की जेल में बितायी गयी अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा तथा अभियुक्ता ब्रजराजी पत्नी मंहगू निवासी झिनखाल थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को धारा 304(2) भा0द0वि0 में 05 वर्ष करावास तथा 10,000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्ता को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 323 भा0द0वि0 के अन्तर्गत छ: माह का कारावास व 500रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्ता को 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोससिद्ध अभियुक्त की जेल में बितायी गयी अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।